आवंटन (3)
अनुदान संख्या–14(आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515001010600–24

प्रेषक,
निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
1–जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद– सोनभद्र, पीलीभीत, गोण्डा, बहराइच, मैनपुरी, महोबा, देवरिया, फतेहपुर, कन्नौज, कासगंज, सुल्तानपुर, ललितपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बुलन्दशहर, भदौही, अलीगढ़, श्रावस्ती, फर्रूखाबाद, कौशाम्बी, हाथरस, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, एटा, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, फिरोजाबाद एवं सिद्धार्थनगर।

2–जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्याः 1/शा0/62/2016–1/76/2016 लखनऊः दिनांक06 जुलाई, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–14 (सामान्य) आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु रू0–13230.00 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–27/2016/1731/2016/33–3–2016–100(12)/2014 दिनांक 30 जून, 2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0–35000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0– 17960.00 लाख (रू0 एक अरब उन्नयासी करोड़ साठ लाख मात्र)** में से उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2016 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8, 15, 17 में इंगित **रू0– 13205.359 लाख** की धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट–01) व कालम सख्या–10 में इंगित **रू0 24.641 लाख** की धनराशि निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट–02), इस प्रकार कुल **रू0 13230.00 लाख** की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टर लॉकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2016–17 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वंय अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि, योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप

संख्या–1/2016/बी0–1–746/ दस–2016 –231/2016 दिनांक 22–03–2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जाएगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक" 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा। शासनादेश के संलग्नक में जनपद वार फॉट के कॉलम संख्या–10 में अकिंत धनराशि **रू0–24.641 लाख** निदेशक पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जाएगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जाएगी।

5–उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या– 14 के लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –101–पंचायती राज–06– सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था–24 –वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

7– सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008– मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर लेखशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10–जनपद स्तर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी सस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02–02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी सस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले दो माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

11– जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करायी जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाए।

12– किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

13— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूप पत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016—17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10—03—2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—145 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/62/1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
4. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र, पीलीभीत, गोण्डा, बहराइच, मैनपुरी, महोबा, देवरिया, फतेहपुर, कन्नौज, कासगंज, सुल्तानपुर, ललितपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बुलन्दशहर, भदौही, अलीगढ़, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, हाथरस, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, एटा, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, फिरोजाबाद एवं सिद्धार्थनगर।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
9. उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-06/07/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-62-2016
आवंटन आदेश संख्या:- 005-76-2016
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	54897600 54897600	54897600 54897600
2	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	47910600 47910600	47910600 47910600
3	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	50905000 50905000	50905000 50905000
4	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	45914400 45914400	45914400 45914400
5	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	51903200 51903200	51903200 51903200
6	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	49906800 49906800	49906800 49906800
7	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	49906900 49906900	49906900 49906900
8	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	47910600 47910600	47910600 47910600
9	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	56893800 56893800	56893800 56893800
10	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	34934900 34934900	34934900 34934900
11	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	75858500 75858500	75858500 75858500
12	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	62882700 62882700	62882700 62882700
13	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	8983100 8983100	8983100 8983100
14	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	50905000 50905000	50905000 50905000
15	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	65877000 65877000	65877000 65877000
16	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	82845400 82845400	82845400 82845400

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
17	सुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	49906800 49906800	49906800 49906800
18	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	51903200 51903200	51903200 51903200
19	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17966400 17966400	17966400 17966400
20	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	63880900 63880900	63880900 63880900
21	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	35933000 35933000	35933000 35933000
22	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	22957200 22957200	22957200 22957200
23	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	20960800 20960800	20960800 20960800
24	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	37929200 37929200	37929200 37929200
25	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	30942200 30942200	30942200 30942200
26	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	22957200 22957200	22957200 22957200
27	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	40923500 40923500	40923500 40923500
28	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	46912500 46912500	46912500 46912500
29	कांसगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	38927500 38927500	38927500 38927500
	योग	वर्तमान प्रगामी	1320535900 1320535900	1320535900 1320535900

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक अरब बत्तीस करोड़ पाँच लाख पैंतीस हजार नौ सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब बत्तीस करोड़ पाँच लाख पैंतीस हजार नौ सौ

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-06/07/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-62-2016
आवंटन आदेश संख्या:- 006-76-2016
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)
101 - पंचायती राज
06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	2464100 5637800	2464100 5637800
	योग	वर्तमान प्रगामी	2464100 5637800	2464100 5637800

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौबीस लाख चौसठ हजार एक सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छप्पन लाख सैंतीस हजार आठ सौ

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

संख्या- 27 /2016/1731/33-3-2016-100(12)/2014

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 30 जून 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु डा0राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-14(सामान्य) के अन्तर्गत धनराशि आवंटित किए जानें के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/2284/2016-5/99/2016 दिनांक 23 जून, 2016 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2016-17 में प्राविधानित उक्त योजना के लिए प्राविधानित 35000.00 लाख के सापेक्ष रू0 13230.00 लाख (रू0 एक अरब बत्तीस करोड तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2016-17 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यकम -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रू 24.641 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरहित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06-सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-बृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कार्य तथा धनराशि आवंटित होने के सापेक्ष कार्यों की स्थलीय निरीक्षण की प्रगति रिपोर्ट प्रति माह शासन को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(12) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह ओदश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्र0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्तजिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

ख्या-14 (सामान्य हेतु)

(धनराशि लाख में)

का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा कार्य योजना मे अनुदान संख्या 14 के अनुसार कुल मांग	योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-14 मे जनपद को कुल आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फाँट							सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तविक प्रस्तावित धनराशि (7-16)
					सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्सी) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13+14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
भद्र	10	230.000	0.000	230.000	214.188	15.813	230.000	0.428	3.213	0.214	0.214	0.214	3.855	4.284	209.904
गीत	23	500.000	0.000	500.000	465.625	34.375	500.000	0.931	6.984	0.466	0.466	0.466	8.381	9.313	456.313
डा	32	660.000	0.000	660.000	614.625	45.375	660.000	1.229	9.219	0.615	0.615	0.615	11.063	12.293	602.333
इच	31	830.000	0.000	830.000	772.938	57.063	830.000	1.546	11.594	0.773	0.773	0.773	13.913	15.459	757.479
री	21	510.000	0.000	510.000	474.938	35.063	510.000	0.950	7.124	0.475	0.475	0.475	8.549	9.499	465.439
ा	8	210.000	0.000	210.000	195.563	14.438	210.000	0.391	2.933	0.196	0.196	0.196	3.520	3.911	191.651
मा	30	630.000	0.000	630.000	586.688	43.313	630.000	1.173	8.800	0.587	0.587	0.587	10.560	11.734	574.954
र	19	480.000	0.000	480.000	447.000	33.000	480.000	0.894	6.705	0.447	0.447	0.447	8.046	8.940	438.060
ज	16	410.000	0.000	410.000	381.813	28.188	410.000	0.764	5.727	0.382	0.382	0.382	6.873	7.636	374.176
ज	15	390.000	0.000	390.000	363.188	26.813	390.000	0.726	5.448	0.363	0.363	0.363	6.537	7.264	355.924
पुर	23	500.000	0.000	500.000	465.625	34.375	500.000	0.931	6.984	0.466	0.466	0.466	8.381	9.313	456.313
र	7	180.000	0.000	180.000	167.625	12.375	180.000	0.335	2.514	0.168	0.168	0.168	3.017	3.353	164.273
[illegible]	3	90.000	0.000	90.000	83.813	6.188	90.000	0.168	1.257	0.084	0.084	0.084	1.509	1.676	82.136
द	21	510.000	0.000	510.000	474.938	35.063	510.000	0.950	7.124	0.475	0.475	0.475	8.549	9.499	465.439
हर	21	550.000	0.000	550.000	512.188	37.813	550.000	1.024	7.683	0.512	0.512	0.512	9.219	10.244	501.944
	16	380.000	0.000	380.000	353.875	26.125	380.000	0.708	5.308	0.354	0.354	0.354	6.370	7.078	346.798
	20	480.000	0.000	480.000	447.000	33.000	480.000	0.894	6.705	0.447	0.447	0.447	8.046	8.940	438.060
	20	470.000	0.000	470.000	437.688	32.313	470.000	0.875	6.565	0.438	0.438	0.438	7.878	8.754	428.934

क्र. सं.	जनपद का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा कार्य योजना मे अनुदान संख्या 14 के अनुसार कुल मांग	योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-14 मे जनपद को कुल आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉट							सी0सी0 एवं के0सी0ड्रे हेतु वास्तवि प्रस्तावि धनराशि 16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्श) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13 +14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	फर्रूखाबाद	19	500.000	0.000	500.000	465.625	34.375	500.000	0.931	6.984	0.466	0.466	0.466	8.381	9.313	456.31
20	कौशाम्बी	8	230.000	0.000	230.000	214.188	15.813	230.000	0.428	3.213	0.214	0.214	0.214	3.855	4.284	209.9(
21	हाथरस	13	310.000	0.000	310.000	288.688	21.313	310.000	0.577	4.330	0.289	0.289	0.289	5.196	5.774	282.9
22	शाहजहांपुर	25	520.000	0.000	520.000	484.250	35.750	520.000	0.969	7.264	0.484	0.484	0.484	8.717	9.685	474.5(
23	मिर्जापुर	17	350.000	0.000	350.000	325.938	24.063	350.000	0.652	4.889	0.326	0.326	0.326	5.867	6.519	319.4
24	प्रतापगढ़	24	520.000	0.000	520.000	484.250	35.750	520.000	0.969	7.264	0.484	0.484	0.484	8.717	9.685	474.5(
25	एटा	20	460.000	0.000	460.000	428.375	31.625	460.000	0.857	6.426	0.428	0.428	0.428	7.711	8.568	419.8(
26	वाराणसी	22	570.000	0.000	570.000	530.813	39.188	570.000	1.062	7.962	0.531	0.531	0.531	9.555	10.616	520.1
27	जौनपुर	33	760.000	0.000	760.000	707.750	52.250	760.000	1.416	10.616	0.708	0.708	0.708	12.740	14.155	693.5
28	फिरोजाबाद	17	360.000	0.000	360.000	335.250	24.750	360.000	0.671	5.029	0.335	0.335	0.335	6.035	6.705	328.5
29	सिद्धार्थनगर	28	640.000	0.000	640.000	596.000	44.000	640.000	1.192	8.940	0.596	0.596	0.596	10.728	11.920	584.0
	कुल	561	13230.000	0.000	13230.000	12320.438	909.563	13230.000	24.641	184.807	12.320	12.320	12.320	221.768	246.409	12074.(

(रूपया एक अरब बत्तीस करोड़ तीस लाख म

नोटः कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।